प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड़ा गया है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

33-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) के विधानसभा का निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पिठत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (नाम) ढ़ाणी कृपाराम, पो. गनेड़ी तह. लक्ष्मणगढ़, जिला— सीकर (पता) इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़े किये गए है। उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थानः सीकर

तारीखः 11/12/2018

हस्ताक्षर रिटर्निंग ऑफिसर (इॉ.कुलसन मीना) रिटरिंग ऑफिसर विद्यानसभा निर्वाचन क्षेत्र, लक्ष्मणगढ़ (033)

विद्यानसभा निर्वाचन क्षेत्र, लक्ष्मणगढ़ (033) विष्युष्ट अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State) from

33-Laxmangarh Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

SHRI GOVIND SINGH DOTASARA (Name) DHANI KRIPARAM, PO. GANEDI, TEHSIL LACHHMANGARH, DISTRICT SIKAR, RAJASTHAN (Address) sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (Name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Sikar

Date: 11/12/2018

Signature Returning Officer

(डा.ब्हुलराज माना) रिटर्निय ऑफिसर

व्यानसभा निर्वाचन क्षेत्र, सक्ष्मणगढ़ (033) (खब्बण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़